



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CG)

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संख्या 25, 2009 द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by the central University Act.2009 No. 25 of 2009)

नैक द्वारा A++ प्रत्यायित विश्वविद्यालय

NAAC A++ Grade Accredited Vishwavidyalaya

क्रमांक 66/विकास/2024


दिनांक: 28/06/24

### कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की स्थाई समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 के विषय क्रमांक 8 में लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक/साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे व्याख्यान, सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि के दौरान रजत जयंती सभागार में अन्य संस्थानों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों/पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के संगठन, केंद्र/राज्य सरकारों के पंजीकृत संगठनों इत्यादि द्वारा प्रदर्शनी लगाए जाने हेतु किराया दर 5,000/- प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

रजत जयंती सभागार की बुकिंग सक्षम अनुमति/अनुमोदन के पश्चात ही होगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
2. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण/समस्त विभागाध्यक्षगण/समस्त नियंत्रक अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी, रजत जयंती सभागार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, वेबसाइट सेल, को वेबसाइट के सूचना पटल पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
6. प्रभारी मीडिया प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)